# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

## कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :–3/अ0प्र0–1–118/2013 21 /पटना, दिनांक :– 28-5-2020

श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के विरूद्ध एकंगरसराय प्रखंड में एकंगरसराय रोड से रसीसा पथ (BR-24R-025) में बरती गयी अनियमितता के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश सं0 173–सह–पठित ज्ञापांक 2411 दिनांक 29.07.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1329 अनु0 दिनांक 11.02.2019 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें श्री गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

3. श्री गुप्ता के दिनांक 31.12.2018 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक 2317 दिनांक 16.08.2019 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 28 अनु0 दिनांक 03.01.2020 द्वारा श्री गुप्ता से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री गुप्ता के पत्रांक शून्य दिनांक 05.02.2020 से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान में श्री गुप्ता द्वारा संचालन पदाधिकारी के विरूद्ध ही आरोप लगाते हुए यह कहा गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके बचाव बयान पर तकनीकी दृष्टिकोण से विचार नहीं किया गया एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य भी तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त श्री गुप्ता द्वारा माह जुलाई 2017 में अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा आलोच्य पथ का की गई जाँच, जिसमें बी0टी0 थीकनेस की औसत मोटाई 28 एम0एम0 पाई गई, का उल्लेख करते हुए अपने विरूद्ध गठित आरोप को आधारहीन बताया गया।

6. श्री गुप्ता द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके विरूद्ध आरोप कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–3, ग्रामीण कार्य विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 07.07.2014 के आधार पर गठित है। कालांतर में निरीक्षण में पाई गई त्रुटि का निराकरण कर देने से आरोप अप्रासंगिक नहीं हो जाता है। इस प्रकार श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नही पाया गया।

7. अतः उक्त आलोक में श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रश्नगत मामले में प्रमाणित आरोप के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

**(i) पेंशन से अगले 05 (पाँच) वर्षों तक 25 (पच्चीस) प्रतिशत की कटौती।**

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic

**ज्ञापांक** :–3/अ0प्र0–1–118/2013 993 /पटना, दिनांक :– 28.5.2020

**प्रतिलिपि**:– कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/05/2020

अभियंता प्रमुख

**ज्ञापांक** :–3/अ0प्र0–1–118/2013 993 /पटना, दिनांक :– 28.5.2020

**प्रतिलिपि**:– प्रधान सचिव/सचिव/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा/समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर/हिलसा/प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा), ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– ग्राम–चट्टी रोड, पोस्ट + जिला– बेगूसराय, पिन कोड–851101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/05/2020

अभियंता प्रमुख

**ज्ञापांक** :–3/अ0प्र0–1–118/2013 993 /पटना, दिनांक :– 28.5.2020

**प्रतिलिपि**:– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/05/2020

अभियंता प्रमुख